

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग


पत्रांक: एफ.8(1) आ.प्र.एवं सहा/बाढ़/2021/9195-204

जयपुर, दिनांक 13-7-2021

परिपत्र


केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की घटना घटित होने पर संभागीय आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक आपदा की गंभीरता अनुसार तुरन्त घटना स्थल पर पहुँचने व राहत कार्यों का संचालन प्रभावी तरीके से करने हेतु निर्देशित किया जाता है। कलक्टर अपनी उपस्थिति में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर राहत गतिविधियों को अंजाम दें।

राज्य में इस प्रकार की प्राकृतिक घटना घटित होने पर राज्य स्तर पर भी तत्काल प्रभाव से प्रमुख शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग एवं राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में सूचना दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।


(निरंजन कुमार आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, आ.प्र., एवं सहायता विभाग, राज0 जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, नागरिक सुरक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
- 4 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अति. महानिदेशक पुलिस राज्य आपदा प्रतिसाद दल (SDRF), जयपुर।
- 7 समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 8 समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
- 9 समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
- 10 रक्षित पत्रावली।


(आनन्द कुमार)
प्रमुख शासन सचिव